बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 3293/सांसद रायपुर लोकसभा/ रायपुर, दिनांक 07/04/2025

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त, सहायक शिक्षकों को One-Time-Exemption (एक बार छुट) देते हुए योग्यतानुसार प्रयोगशाला सहायक/ व्यायाम शिक्षक जैसे समकक्ष पदों पर समायोजित करने बाबत्।**

संदर्भः– मेरे पूर्व पत्र क. 2288, दिनांक 30/11/2024, एवं पत्र क. 3718, दिनांक 31/01/2025।

––00––

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा **टी–संवर्ग के 5492 व ई–संवर्ग के 793 कुल लगभग 6285 सहायक शिक्षकों की भर्ती** के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में तत्कालीन नियमों एवं प्रावधानों के तहत् योग्यता बीएड और डीएड दोनों को रखा गया था जिसके आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए। सभी प्रावधानों को पूरा कर चयन प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई जिसमें से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शासकीय सेवा कर रहे लगभग **2621** शिक्षकों को 16 माह की नौकरी करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त किए गए सभी बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षक मध्यम वर्गीय, बीपीएल परिवार के ही बच्चे है। नौकरी से निकालने के बाद इन सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रोजगार छिनने से परिवार पर रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है। निकाले गए सभी सहायक शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। शासकीय नौकरी मिल जाने के कारण इन सबने अपनी तैयारी छोड़ दी और अब नौकरी से बर्खास्त भी हो गए है।

Scanned with OKEN Scanner

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 3293 / सांसद रायपुर लोकसभा /   रायपुर, दिनांक 07/04/2025

तकनीकी त्रुटि के कारण शासकीय नौकरी से बर्खास्त किए गए इन युवाओं के परिवारों को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है और इन परिवारों के समक्ष जीवन–मरण का प्रश्न उपस्थित हो चुका है। नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग मे सहायक शिक्षक के समकक्ष पदों पर समायोजित करने के लिए लंबे समय से आंदोलनरत् है। शासन, प्रशासन एवं सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने भी समय–समय पर इनके प्रकरण पर इन्हें गंभीरता पूर्वक विचार करने व समायोजित करने का आश्वासन भी दिया है, उसके उपरांत भी इस विषय पर अबतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद–21, राज्य सरकार को दायित्व सौंपता है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट में नहीं पड़ना चाहिए। 2621 बीएड डिग्रीधारी नियमित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर देने से इनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदेश में मिडिल स्कूलों एवं हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक के पद बड़ी संख्या में रिक्त है। इन रिक्त समकक्ष पदों पर बर्खास्त शिक्षकों को योग्यतानुसार समायोजित किया जा सकता है।

कृपया इस विषय में निर्णय लेते हुए **One-Time-Exemption (एक बार छुट)** देकर, 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों को योग्यतानुसार प्रयोगशाला सहायक/व्यायाम शिक्षक जैसे रिक्त समकक्ष पदों पर समायोजित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने का कष्ट करेंगे।

<u>सादर</u>

(बृजमोहन अग्रवाल)

Scanned with OKEN Scanner